07/5/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील वादी उप.। वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS 2025/642

BV

उपखण्ड अधिकारी
...गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.13 17:09:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 319/2025 GWS:-2025/642   **दायर दिनांक : 11.12.2025**

1. श्रीराम
2. औमप्रकाश

} पुत्रगण फूलसिंह उर्फ फूलाराम पुत्र महीपत जाति कुम्हार निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ —प्रतिवादी

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री अजय कुमार अरोड़ा, अभिभाषक वादीगण
2. पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय   **दिनांक : 07.05.2026**

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। अभिभाषक वादीगण व पैरोकार राज उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में विचारण तथ्य पत्रावली इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि वादीगण के पिता फूलसिंह उर्फ फूलाराम के नाम से चक 185 आर.डी.'बी' नया चक 2 बी.जे. डब्ल्यू. द्वितीय तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 51/47 के किला नं. 1 से 11 = 11.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि सहायक उपनिवेशन आयुक्त, इन्दिरा गांधी नहर योजना, सूरतगढ़ के द्वारा दिनांक 13.08.1985 को पुख्ता आवंटित की गई थी। मौका पर कब्जा भी प्राप्त कर लिया था। आवंटन से लेकर मूल आवंटिती की मृत्यु दिनांक 25.07.2025 तक उक्त भूमि पर कब्जा काश्त मूल आवंटिती का रहा व उनकी मृत्यु के पश्चात् आज तक मूल आवंटिती के वारिसों का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण व वादीगण की पांच बहिनें आवंटिती के विधिक वारिस हैं। आवंटन पश्चात् आवंटित भूमि का नामान्तरकरण सं. 13 दिनांक 12.03.1986 को आवंटिती के हक में सक्षम राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार (उपनिवेशन), इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सूरतगढ़ नं. 2 द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। इसके पश्चात् उपनिवेशन विभाग द्वारा उपनिवेशन कार्यवाही समाप्त कर समस्त रिकॉर्ड राजस्व विभाग को प्रदान कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.13 17:09:50 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

दिया एवं इसके बाद चक 185 आर.डी.'बी' के स्थान पर नया चक 2 बी.जे. डब्ल्यू. द्वितीय बनाया गया। इस प्रक्रिया के दौरान भूलवश उक्त नामान्तरकरण सं. 13 का अंकन जमाबन्दी में नहीं हो पाया और आवंटित भूमि रकबाराज दर्ज रह गई, जबकि नामान्तरकरण अनुसार यह भूमि रकबाराज से कलमजन कर आवंटिती के नाम दर्ज होने योग्य थी। वर्तमान में मुताबिक जमाबन्दी चक 2 बी. जे.डब्ल्यू.–।। जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 75 के खाता सं. 1 के पत्थर नं. 51/47 के किला नं. 1 से 11 प्रत्येक में 0.253 है0 राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है, जबकि आवंटिती फूलसिंह उर्फ फूलाराम पुत्र महीपत के माध्यम से फूलसिंह उर्फ फूलाराम के वारिसान प्रश्नगत भूमि के पुख्ता आवंटिती गैर खातेदार घोषित होने के पात्र हैं। वादीगण ने स्वीकृत इन्तकाल का जमाबन्दी में अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट भी की गई, जिसमें किसी प्रकार का विवाद/स्थगन नहीं पाया गया, लेकिन फिर भी तहसीलदार द्वारा अंकन करने से इन्कार कर दिया गया, इसलिए वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर प्रश्नगत भूमि चक 185 आर.डी.'बी' नया चक 2 बी.जे.डब्ल्यू. द्वितीय तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 51/47 के किला नं. 1 से 11 = 11.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि का वादीगण के पिता फूलसिंह उर्फ फूलाराम पुत्र महीपत जाति कुम्हार निवासी छानीबड़ी को गैर खातेदार (पुख्ता आवंटी) घोषित किये जाने एवं तत्पश्चात् सभी विधिक वारिसान के नाम इस घोषणा का अंकन राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया गया व जवाब आने पर निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :–

(1) आया कि वादीगण के पिता फूलसिंह उर्फ फूलाराम के नाम से चक 185 आर.डी.'बी' नया चक 2 बी.जे.डब्ल्यू. द्वितीय तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 51/47 किला नं. 1 से 11 = 11.00 बीघा भूमि पुख्ता आवंटित है ?

(वादीगण)

(2) आया कि उपरोक्त आवंटन का इन्तकाल नं. 13 दिनांक 10.03.1986 को स्वीकृत हो चुका है ?

(वादीगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.13 17:09:50 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(3) आया कि आवंटी की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण एवं वादीगण की बहिनें विधिक वारिस हैं ?
(वादीगण)

(4) आया कि उपरोक्त इन्तकाल नं. 13 का अमलंदरामद जमाबन्दी में अंकन नहीं हुआ है ?
(वादीगण)

(5) आया कि प्रश्नगत भूमि आवंटन से आज तक लगातार कब्जा काश्त में है ?
(वादीगण)

(6) अनुतोष।

बाद कायमी तनकीयात साक्ष्य प्राप्त किये गए व प्रस्तुत साक्ष्यों पर प्रदर्श अंकित करवाये गये। वादीगण ने शपथ–पत्र पर बयान प्रस्तुत कर वाद–पत्र के कथनों की पुष्टि की। साक्ष्य प्राप्त करने के पश्चात् तर्क सुने गये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

विद्वान अभिभाषक वादीगण ने आवंटन आदेश, नकल नामान्तरकरण के प्रदर्श का अवलोकन करवाया व आवंटन के समय प्रश्नगत रकबा पहले चक 185 आर.डी.'बी' में होना बताते हुए उक्त समय की जमाबन्दी में भूमि रकबाराज होने का अंकन दिखलाया व शपथ–पत्र के माध्यम से यह रकबा इसी पत्थर नं. 51/47 किला नं. 1 से 11 = 11.00 बीघा रकबा वर्तमान में चक 2 बी.जे.डब्ल्यू. –।। में बताया जिसकी पुष्टि रिपोर्ट पटवारी व वर्तमान जमाबन्दी से होना बताया एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र व वारिस प्रमाण–पत्र का अवलोकन करवाते हुए कथन किया कि दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद की पूर्ण पुष्टि होती है, इसलिए वाद वादीगण स्वीकार चाही गई घोषणा व डिक्री प्रदान करने की प्रार्थना की। राज्य सरकार की ओर से पैरोकार राज ने राज्य हितों को सुरक्षित रखते हुए वाद में निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

उभय पक्ष के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का गहन पठन व मनन किया गया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है :–

तनकी नं. (1) – आया कि वादीगण के पिता फूलसिंह उर्फ फूलाराम के नाम से चक 185 आर.डी.'बी' नया चक 2 बी.जे.डब्ल्यू. द्वितीय तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 51/47 किला नं. 1 से 11 = 11.00 बीघा भूमि पुख्ता आवंटित है ?
(वादीगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.13 17:09:50 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने आवंटन प्रार्थना–पत्र व आवंटन पट्टा की सत्य प्रतियां प्रस्तुत की जिससे यह

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सन्देह से परे साबित होता है कि मूल आवंटिती फूलसिंह उर्फ फूलाराम पुत्र महीपत को चक 185 आर.डी.'बी' के पत्थर नं. 51/47 के किला नं. 1 से 11 में कुल 11 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन हुआ था और यह भूमि शपथ–पत्र वादीगण एवं जमाबन्दी वर्तमान अनुसार पत्थर नम्बर व किला नम्बर समानता के आधार पर दस्तावेजी रिकॉर्ड जमाबन्दी वर्तमान अनुसार चक 2 बी.जे.डब्ल्यू.–।। तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 1 में अंकित है। तनकी नं. 1 सन्देह से परे साबित होती है, इसलिए बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (2) – आया कि उपरोक्त आवंटन का इन्तकाल नं. 13 दिनांक 10.03.1986 को स्वीकृत हो चुका है ? (वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए नामान्तरकरण की नकल दस्तावेजी रिकॉर्ड प्रस्तुत हुआ है, जिसको सन्देहास्पद प्रतिवादी द्वारा नहीं किया गया। तनकी नं. 2 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (3) – आया कि आवंटी की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण एवं वादीगण की बहिनें विधिक वारिस हैं ? (वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। इसे सिद्ध करने के लिए वादीगण ने स्वयं का शपथ–पत्र व मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं वारिसान की तस्दीक प्रस्तुत की है जिसको विवादित साक्ष्य से प्रतिवादी द्वारा नहीं किया गया। तनकी नं. 3 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (4) – आया कि उपरोक्त इन्तकाल नं. 13 का अमलदरामद जमाबन्दी में अंकन नहीं हुआ है ? (वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए वादीगण द्वारा स्वयं का शपथ–पत्र व जमाबन्दी चक 185 आर.डी.'बी' की नकल प्रस्तुत की है जिसमें इन्तकाल नं. 13 का अंकन नहीं है, इसलिए तनकी नं. 4 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (5) – आया कि [illegible] आज तक लगातार कब्जा काश्त में है ? (वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार [illegible] पर था। इस तनकी को वादीगण ने स्वयं के शपथ–पत्र व रिपोर्ट [illegible] से सिद्ध किया है। विपरीत

क्रमशः ..... पेज 5 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.13 17:09:50 IST
Reason: SelfAttested

BV
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए, इसलिए यह तनकी बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

चूंकि तनकी नं. 1 से 5 बहक वादीगण निर्णय की जा चुकी हैं। वादीगण के पिता को चक 185 आर.डी.'बी' के पत्थर नं. 51/47 के किला नं. 1 से 11 का आवंटन पूर्णतया सिद्ध है। वादीगण के पिता को उक्त भूमि पुख्ता आवंटित गैर खातेदारी अधिकार सहित हुई है, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा कभी निरस्त नहीं किया गया है। यह प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से सिद्ध है, इसलिए मूल आवंटिती की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि वादीगण व अन्य वारिसान बहिस्सा बराबर के पुख्ता आवंटिती गैर खातेदार मूल आवंटिती के माध्यम से घोषित होने के पात्र हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मूल आवंटिती फूलसिंह उर्फ फूलाराम पुत्र महीपत जाति कुम्हार निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा के माध्यम से उसके वारिसान श्रीराम, ओमप्रकाश, सावित्री, मोहिनी, सुशीला, सुमित्रा, चन्द्रकला पुत्र/पुत्रीयान फूलसिंह उर्फ फूलाराम पुत्र महीपत अकवाम कुम्हार निवासीयान छानीबड़ी तहसील भादरा को चक 185 आर.डी.'बी' वर्तमान चक 2 बी.जे.डब्ल्यू. द्वितीय तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 51/47 के किला नं. 1 से 11 = 11.00 बीघा यानि 2.783 है0 अनकमाण्ड भूमि का बहिस्सा बराबर का पुख्ता आवंटिती गैर खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को उक्त भूमि वर्तमान जमाबन्दी चक 2 बी.जे.डब्ल्यू.–।। तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 1 से कलमजन कर घोषणा अनुसार श्रीराम, ओमप्रकाश, सावित्री, मोहिनी, सुशीला, सुमित्रा, चन्द्रकला पुत्र/पुत्रीयान फूलसिंह उर्फ फूलाराम पुत्र महीपत अकवाम कुम्हार निवासीयान छानीबड़ी तहसील भादरा के नाम पुख्ता आवंटिती गैर खातेदार दर्ज कर खाता कायमी के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ उक्त भूमि के आवंटन का अमलदरामद करने के पश्चात् आवंटन राशि मय ब्याज वसूल करने की कार्यवाही करने को स्वतंत्र है। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 07.05.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.13 17:09:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

बइजलास – **भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.**

अनवान :–

1. श्रीराम
2. औमप्रकाश

} **पुत्रगण फूलसिंह उर्फ फूलाराम पुत्र महीपत जाति कुम्हार निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)**

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ **–प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत 88 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 319 वर्ष 2025 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादीगण श्री अजय कुमार अरोड़ा व पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मूल आवंटिती फूलसिंह उर्फ फूलाराम पुत्र महीपत जाति कुम्हार निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा के माध्यम से उसके वारिसान श्रीराम, ओमप्रकाश, सावित्री, मोहिनी, सुशीला, सुमित्रा, चन्द्रकला पुत्र/पुत्रीयान फूलसिंह उर्फ फूलाराम पुत्र महीपत अकवाम कुम्हार निवासीयान छानीबड़ी तहसील भादरा को चक 185 आर.डी.'बी' वर्तमान चक 2 बी.जे.डब्ल्यू. द्वितीय तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 51/47 के किला नं. 1 से 11 = 11.00 बीघा यानि 2.783 है0 अनकमाण्ड भूमि का बहिस्सा बराबर का पुख्ता आवंटिती गैर खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को उक्त भूमि वर्तमान जमाबन्दी चक 2 बी.जे.डब्ल्यू.–।। तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 1 से कलमजन कर घोषणा अनुसार श्रीराम, ओमप्रकाश, सावित्री, मोहिनी, सुशीला, सुमित्रा, चन्द्रकला पुत्र/पुत्रीयान फूलसिंह उर्फ फूलाराम पुत्र महीपत अकवाम कुम्हार निवासीयान छानीबड़ी तहसील भादरा के नाम पुख्ता आवंटिती गैर खातेदार दर्ज कर खाता कायमी के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ उक्त भूमि के आवंटन का अमलदरामद करने के पश्चात् आवंटन राशि मय ब्याज वसूल करने की कार्यवाही करने को स्वतंत्र है।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक **07.05.2026** को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.13 17:09:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़